निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– एफ1(ए)324/बीमा/संस्था/2014 दिनांक– 15 SEP 2014

आदेश 286

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय के निर्देशों के अनुसरण में वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग से प्राप्त स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ4(2)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 05.09.2014 के क्रम में **राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर** को **नेशनल पेंशन सिस्टम – स्वावलम्बन योजना** के क्रियान्वन हेतु **एग्रीग्रेटर** नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अपने संभाग कार्यालय एवं जिला कार्यालयों के माध्यम से समस्त राजस्थान क्षेत्र में स्वावलम्बन योजना का क्रियान्वन सुनिश्चित करेगा। इस हेतु विभाग के मुख्यालय स्तर पर **अतिरिक्त निदेशक, नवीन पेंशन योजना, (राजकीय स्वायतशासी संस्थाऐं) को नोडल अधिकारी** नियुक्त किया जाता है, जिसका संपूर्ण विवरण निम्नानुसार है :–

श्री सुनील चन्द बंसल
अतिरिक्त निदेशक (एस.ए.बी.) नवीन पेंशन योजना,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
बीमा भवन, बनीपार्क जयपुर राजस्थान।
टेलिफोन :– 0141–2201349, 0141–2202347– ext. 146
मो0 :– 9414110975
e-mail :- add.nps.sipf@rajasthan.gov.in

नोडल अधिकारी (स्वावलंबन योजना) तुरन्त प्रभाव से श्रम विभाग से संपर्क कर योजना से संबंधित दस्तावेजों को हस्तांतरित किये जाने की समुचित कार्यवाही संपादित करें। तत्पश्चात् इस योजना की क्रियांविति संभाग/जिला कार्यालय के माध्यम से संपादित किया जाना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 5/9/14

(डा0 राजेश शर्मा)
निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– एफ1(ए)324/बीमा/संस्था/2014 5610 – 5625 दिनांक 15 SEP 2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, शासन सचिवालय को पत्र क्रमांक. एफ1(ए)श्रम/M&W/SP I/2010/19679 दिनांक 15.07.2014 के क्रम में भेजकर लेख है कि कृपया स्वावलंबन योजना से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज हस्तांतरित करने एवं सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।

3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सविचालय, जयपुर।

4. संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक एफ4(12)वित्त/राजस्व/2004 दिनांक 05.09.2014 के क्रम में।

5. श्री सुनील चंद बंसल, अतिरिक्त निदेशक, (एस.ए.बी) नवीन पेंशन योजना राज्य बीमा एवं प्र0 नि0 विभाग **नोडल अधिकारी (स्वावलम्बन योजना)** को भेजकर लेख है कि श्रम एवं नियोजन विभाग से संपर्क कर राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग को पी.एफ.आर..डी.ए. से एग्रीग्रेटर नियुक्त कराये जाने की कार्यवाही संम्पादित करें। तत्पश्चात् इस योजना के संभाग/जिला स्तर पर क्रियान्वन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी करें।

6. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक नवीन पेंशन/संयुक्त निदेशक, नवीन पेंशन को भेजकर लेख है कि स्वावलम्बन योजना के क्रियान्वयन में नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

7. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, संभाग कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग को भेजकर लेख है कि स्वावलम्बन योजना के हस्तांतरण पश्चात् इस योजना का क्रियान्वयन श्रम विभाग के सहयोग से आपके अधीन जिला कार्यालयों से सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8. समस्त अधिकारी मुख्यालय, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग, राजस्थान, जयपुर।

9. संयुक्त/उप/ सहायक निदेशक, जिला कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग को भेजकर लेख है कि आपके जिले में स्वावलंबन योजना के क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

10. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके जिला कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों को राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग के संभाग/जिला कार्यालयों के अधिकारियों को स्वावलम्बन योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के हस्तांतरण करने एवं सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें।

11. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग, मुख्यालय जयपुर।

12. रक्षित पत्रावली।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग,
राजस्थान जयपुर